UPMO0010001032023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3 मुरादाबाद ।

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक विविध वाद संख्या–41/2023

1– नदीम अहमद पुत्र शमीम अहमद,
निवासी–हाल–आर 48 ए जोगा बाई एक्सटेन्शन, सर सैय्यद नगर, बटला हाउस ओखला, थाना जामिया नगर, नई दिल्ली।
2– फहीम अहमद पुत्र शमीम अहमद,
3– बसीम अहमद पुत्र शमीम अहमद,
4– श्रीमती रोशन आरा पत्नी शमीम अहमद,
5– मौ0 अनवार पुत्र गुलाम मोईउद्दीन,
निवासीगण–960 कोठियात निकट कचहरी वाली मस्जिद प्रीति विहार, थाना कोतवाली, जिला बुलंदशहर ।
6– श्रीमती फरहाना परवीन पत्नी अनवार हुसैन,
निवासी–बाडा शाह सफा अब्दुल्ला शाह की ज्यारत, थाना कोतवाली, मुरादाबाद ।

.....निगरानीकर्तागण ।

बनाम

1– श्रीमती गजाला शाकिर पुत्री शाकिर हुसैन अन्सारी पत्नी नदीम अहमद,
निवासी–मौहल्ला जब्बार कालौनी इण्डिया धर्मकांटे के सामने सम्भल रोड, थाना कटघर, मुरादाबाद ।
2– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी0 जी0 सी0 क्रिमिनल, मुरादाबाद ।

दिनांक–27.05.2026

1– पत्रावली पेश हुई। आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2– आवेदिका गजाला शाकिर की ओर से इस आशय का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया कि वह मामले में विपक्षी संख्या–1 है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या–9761/2009 (श्रीमती गजाला बनाम नदीम) में पारित आदेश दिनांक 18.01.2010 के विरुद्ध उक्त रिवीजन योजित किया गया था, जिस पर न्यायालय श्रीमान ए.डी.जे. 14 मुरादाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.04.2011 में अवर न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थिनी/आवेदिका ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रि0 मि0 रिट याचिका संख्या–10067/2011 योजित की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 के द्वारा रिवीजन कोर्ट के आदेश को (Set aside) करके नया आदेश पारित करने के लिए पत्रावली रिवीजन न्यायालय को वापस कर दी गयी है। अतः उक्त रिवीजन पत्रावली तलब करके मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में उचित आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट

नंबर 14, मुरादाबाद द्वारा दाण्डिक निगरानी संख्या–88/2010, नदीम अहमद आदि बनाम गजाला शाकिर आदि में पारित निर्णय दिनांकित 14.04.2011 के द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.01.2010 को अपास्त किया गया था, जिसके विरुद्ध आवेदिका गजाला शाकिर ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल मिस 0 रिट पिटिशन नंबर–10067/2011 योजित की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है–

> "In view of above, the writ petition is allowed. Impugned order dated 14.04.2011 is set aside and matter is remanded back to revisional Court to pass a fresh order considering the complaint as well as statements recorded under Sections 200 and 202 Cr.P.C. and also taking note of the judgment passed by Supreme Court in Lalankumar Singh and others vs. State of Mahrashtra, 2022 SCC OnLine SC 1383.

5– उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 14.04.2011 को निरस्त कर दिया गया है तथा पुनरीक्षण न्यायालय को एक नया आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदिका गजाला शाकिर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0–6 बी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका गजाला शाकिर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या–6 बी स्वीकार किया जाता है।

दाण्डिक निगरानी संख्या–88/2010, नदीम अहमद आदि बनाम गाजाल शाकिर को उसके मूल नंबर पर प्रतिस्थापित किया जाता है। विपक्षीगण को नोटिस दिनांक 03.06.2026 के लिये जारी हो।

तद्नुसार दाण्डिक विविध वाद संख्या–41/2023 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 27.05.2026

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।